पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(कंपनी सचिवालय यूनिट)

संख्या : 1:05:126 (3) : I:सीएस

दिनांक : 11 जनवरी, 2016

परिपत्र संख्या : 1/2016

विषय : <u>समारोहों का महत्व निर्धारण करने संबंधी नीति</u>

निदेशक मंडल ने 16 दिसंबर, 2015 को आयोजित अपनी 341वीं बैठक में निम्नलिखित नीति अनुमोदित की है।

1. समारोहों का महत्व सुनिश्चित करने संबंधी नीति (अनुबंध I के रूप में संलग्न)

सूचना और आवश्यक कार्रवाई यदि कोई हो, के लिए।

(मनोहर बलवानी)

कंपनी सचिव

अनुलग्नक I

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

समारोहों का
महत्व निर्धारण करने संबंधी नीति

[सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षा) विनियमावली 2015 का विनियम 30]

1. प्रस्तावना :

सेबी ने 2 सितंबर, 2015 के अधिसूचना के जरिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षा) नियमावली 2015 को अधिसूचित किया है। यह नियमावली 01 दिसंबर, 2015 से लागू होगी।

उक्त विनियमावली के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने समारोहों का महत्व सुनिश्चित करने संबंधी नीति को अनुमोदित किया है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

2. परिभाषाएं :

इस नीति में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

"कंपनी" से तात्पर्य पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("पीएफसी") से है ।

"विनियमावली" से तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षा) विनियमावली, 2015 से है।

"महत्वपूर्ण समारोह / सूचना" से तात्पर्य ऐसे समारोहों / सूचना से है, जो इस नीति के बिंदु 3 में उल्लिखित मापदंड को पूरा करती हो।

इस नीति में प्रयुक्त जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को, इस नीति में परिभाषित नहीं किया गया लेकिन कंपनी अधिनियम, 2013, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1656 या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 या निक्षेप अधिनियम, 1996 और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियमावली, 2015 में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा, जो क्रमश उन अधिनियमों / नियमों / विनियमों आदि में दिया गया है।

3. <u>समारोहों / सूचना के महत्व को निर्धारित करने संबंधी मापदंड :</u>

समारोहों / सूचना के महत्व को निर्धारित करने संबंधी मापदंड इस प्रकार होंगे-

(क) ऐसे किसी समारोह या सूचना का विलोपन, जिससे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किसी समारोह या सूचना में अंतराल अथवा परिवर्तन होने की संभावना हो।

(ख) उस स्थिति में किसी समारोह या सूचना का विलोपन, जिससे महत्वपूर्ण बाजार प्रतिक्रिया मिलने की संभावना हो, यदि कथित लोप बाद की तारीख में प्रकाश में आए।

(ग) यदि उपखंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मापदंड लागू न हों तो उस स्थिति में समारोह/सूचना को महत्वपूर्ण समझा जाएगा, यदि निदेशक मंडल उस समारोह / सूचना को महत्वपूर्ण समझे।

4. <u>महत्वपूर्ण समारोहों / सूचना का प्रकटन</u> :

निम्नलिखित समारोहों / सूचना को "महत्वपूर्ण" समझा जाएगा और इन समारोहों / सूचना के महत्व को सुनिश्चित करने संबंधी मापदंड को लागू किए बिना प्रकट किया जाएगा।

1. अधिग्रहण (अधिग्रहणों) (जिनमें अधिग्रहण की सहमति भी शामिल है), व्यवस्था की योजना (समामेलन /विलयन/ अविलयन/ पुर्नगठन) या किसी यूनिट (यूनिटों), प्रभाग (प्रभागों) या इस कंपनी की सहायक कंपनी या कोई अन्य पुनर्गठन।

   स्पष्टीकरण :- इस उप पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए 'अधिग्रहण' से तात्पर्य निम्नलिखित से होगा-

(i) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का अधिग्रहण करना।

(ii) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी कंपनी में शेयरों या मतदान के अधिकारों का अधिग्रहण करने के लिए अधिग्रहण करना या सहमति देना, यथा-

   (क) पीएफसी के पास उक्त कंपनी में शेयरों के कुल 5 प्रतिशत शेयर हों या मतदान का अधिकार हो या उससे अधिक शेयर हों या मतदान का अधिकार हो अथवा

   (ख) इस उप-पैरा के स्पष्टीकरण के खंड (II) के उपखंड (क) के अधीन किए गए पिछले प्रकटन से शेयर धारण में परिवर्तन हुआ हो और ऐसे परिवर्तन से उक्त कंपनी में कुल शेयरधारण या मतदान के अधिकार में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई हो।

2. प्रतिभूतियों का बीमा या जब्तगी, शेयरों का विभाजन या समेकन, प्रतिभूतियों की वापसी खरीद, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध या वर्तमान प्रतिभूतियों की शर्तों या संरचना में परिवर्तन, जिसमें जब्तगी, जब्त की गई प्रतिभूतियों का पुर्ननिर्गम, मांगों में परिवर्तन, प्रतिभूतियों का उन्मोचन आदि भी शामिल है।

3. क्रमांकन (क्रमांकनों) में संशोधन ।

4. निदेशक मंडल की बैठकों का परिणाम : कंपनी निम्नलिखित पर विचार करने के लिए धारित शेयरों को बैठक की समाप्ति के 30 मिनट के अंदर एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकट करेगी :

   (क) सिफारिश किए गए या घोषित लाभांश और / या नकद बोनस अथवा किसी लाभांश को पारित करने का निर्णय और वह तारीख जब लाभांश अदा/ प्रेषित किया जाएगा।

   (ख) लाभांश को रद्द करने संबंधी निर्णय और उसका कारण

   (ग) प्रतिभूतियों की वापसी खरीद का निर्णय

   (घ) निधि जुटाने के संबंध में प्रस्तावित निर्णय

   (ङ) पूंजीकरण के माध्यम से बोनस शेयरों का निर्गम करके पूंजी में वृद्धि, जिसमें वह तारीख भी शामिल है, जब ऐसा बोनस शेयर जमा / प्रेषित किया जाएगा।

   (च) जब्त किए गए शेयरों या प्रतिभूतियों को पुनः निर्गमित करना या भविष्य में जारी करने के लिए आरक्षित शेयरों या प्रति भूतियों को जारी करना या किसी भी रूप में या तरीके से नए शेयरों या प्रतिभूतियों का सृजन करना या अभिदाताओं को निम्नलिखित के लिए कोई अन्य अधिकार, विशेषाधिकार या लाभ देना।

   (छ) पूंजी में किए गए किसी अन्य परिवर्तन के संक्षिप्त ब्योरे, जिनमें मांगें भी शामिल हैं।

   (ज) वित्तीय परिणाम।

   (झ) स्टॉक एक्सचेंज (स्टॉक एक्सचेजों) से कंपनी द्वारा स्वेच्छा से असूचीकरण संबंधी निर्णय।

5. ऐसे करार (यथा शेयरधारक करार, संयुक्त उद्यम करार, परिवार विवरण करार) (उस सीमा तक कि इसका प्रभाव पीएफसी के प्रबंधक वर्ग और नियंत्रण पर पड़े, मीडिया कंपनियों के साथ करार / संधि / संविदा), जो आबद्धकर हों और कारोबार के दौरान सामान्य न हों, उनका पुनरीक्षण, संशोधन और समापन।

6. विकासकर्ता या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा या कंपनी द्वारा कपट /चूक अथवा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या विकासकर्ता की गिरफ्तारी।

7. निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (यथा प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव आदि), लेखापरीक्षक और अनुपालन अधिकारी में परिवर्तन।

8. शेयर अंतरण एजेंट की नियुक्ति या समाप्ति।

9. कॉर्पोरेट ऋण का पुनर्गठन।

10. बैंक के साथ एकबारगी समाधान।

11. बीआईएफआर के साथ पत्राचार और पक्षकारों / ऋणकर्ताओं द्वारा दाखिल याचिका बंद करना।

12. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों या ऋणकर्ताओं या उनकी किसी श्रेणी को नोटिस जारी करना, मांग-पत्र, मांग-पत्र संकल्प और परिपत्र भेजना अथवा मीडिया में विज्ञापित करना।

13. वार्षिक बैठकों और असाधारण आम बैठकों की कार्यवाही।

14. संस्था ज्ञापन और अंतर्नियमों में संशोधन, संक्षेप में।

15. विश्लेषकों या संस्थागत निदेशकों की बैठक की अनुसूची और विश्लेषकों या संस्थागत निदेशकों को प्रस्तुत किए गए एफसीआई के वित्तीय परिणामों से संबंधित प्रस्तुतीकरण।

16. ऐसे सौंपे गए / दिए गए आदेशों / संविदाओं को सौंपना देना / प्राप्त करना, उनमें संशोधन करना या उन्हें समाप्त करना, जो सामान्य कारोबार के दौरान नहीं किया जाता है।

17. एनबीएफसी /एफआई होने के कारण कंपनी पर लागू विनियामक ढांचे में परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव।

18. गारंटी या सुरक्षा प्रदान करना अथवा किसी अन्य पक्षकार का जमानती बनना।

19. निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य समारोह / सूचना

5. <u>महत्व के मापदंड को पूरा करने वाले समारोहों / सूचना का प्रकटन</u> :

महत्वपूर्ण मापदंड पर आधारित निम्नलिखित समारोहों / सूचना को भी महत्वपूर्ण समझा जाएगा :

1. किसी यूनिट/ प्रभाग के वाणिज्यिक उत्पादन या वाणिज्यिक प्रचालन के आरंभ में उसका प्रारंभ या स्थगन।
2. कार्य नीति, तकनीकी, विनिर्माण या विपणन संबंध के लिए व्यवस्था द्वारा तैयार किए गए कारोबार की सामान्य विशेषता या प्रकार में परिवर्तन, कारोबार की नई दिशा अपनाना या किसी यूनिट / प्रभाग के प्रचालन को बंद करना (एकमुश्त या खंडों में)
3. क्षमता संवर्धन या उत्पाद आरंभ करना।
4. करार (यथा ऋण करार) (ऋणकर्ता के रूप में) या ऐसी कोई अन्य करार, जो आबद्धकर हो और सामान्य कारोबार के दौरान न किया जाता हो) और उनका पुनरीक्षण या संशोधन या समापन।
5. प्राकृतिक आपदा (भूकंप, बाढ़, आग आदि), अपरिहार्य परिस्थितियों या हड़ताल, तालाबंदी आदि जैसी घटनाओं के कारण कंपनी के एक या एक से अधिक यूनिटों या प्रभागों के प्रचालन में बाधा उत्पन्न होना।
6. कंपनी पर लागू विनियामक ढांचे में परिवर्तन से उत्पन्न प्रभाव।
7. मुकद्दमा (मुकद्दमों) / विवाद (विवादों) / विनियामक कार्रवाई और उनका प्रभाव।
8. निदेशकों (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों से भिन्न) या कंपनी के कार्मिकों द्वारा कपट/ चूक आदि।
9. प्रतिभूतियों की खरीद का विकल्प, जिनमें कोई ईएसओपी /ईएसपीएस योजना भी शामिल हो।
10. मुख्य लाइसेंसों या विनियामक अनुमोदन देना, वापस लेना, अभ्यर्पण, निरस्तीकरण या निलंबन।

11. कोई अन्य सूचना / समारोह यथा ऐसी कोई प्रमुख गतिविधि, जिनसे कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, उदाहरणार्थ-नवीन प्रौद्योगिकी का उद्भव, पेटेंट की समाप्ति, लेखाकरण नीति में कोई ऐसा परिवर्तन, जिसका लेखों आदि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो और उनका संक्षिप्त विवरण तथा ऐसी अन्य कोई सूचना, जिसकी जानकारी केवल कंपनी को हो और जिससे कंपनी की प्रतिभूतियों के धारक को ऐसी आवश्यक जानकारी मिल सके, ताकि वे इसकी स्थिति से अवगत हों और ऐसी प्रतिभूतियों में झूठे विपणन को स्थापित करने से वे बच सकें।

कंपनी नीति में विर्निदिष्ट समारोहों / सूचना की जानकारी यथाशीघ्र और सेबी विनियमों में विर्निदिष्ट समय सीमा के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को देगी ।

6. <u>समारोह या सूचना के महत्व को सुनिश्चित करने के लिए केएमपी को प्राधिकार देना</u> :

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षा) विनियमावली 2015 के विनियम 30 (5) के अनुसरण में कंपनी का निदेशक मंडल, निदेशक मंडल के प्रकार्यात्मक सदस्यों को प्राधिकृत करेगा कि वे इस नीति में विनिर्दिष्ट मापदंड के आधार पर किसी समारोह या सूचना के महत्व को अलग-अलग और / या संयुक्त रूप से सुनिश्चित करेंगे और कंपनी सचिव को निदेश देंगे कि वह सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षा) विनियमावली 2015 के विनियम 30 के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दे।

7. <u>नीति की समीक्षा और प्रकटन :</u>

यह नीति, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षा) विनियमावली 2015 की अपेक्षाओं के आधार पर तैयार की गई है। इस विनियमावली में सेबी द्वारा बाद में किया गया कोई आशोधन और / या संशोधन इस नीति पर स्वतः लागू हो जाएगा। यदि इस विनियमावली में बाद में किए गए किसी परिवर्तन से इस विनियमावली के अधीन बनाई गई नीति के प्रावधान उसके अनुरूप न हों तो इस विनियमावली के प्रावधान इस नीति पर लागू रहेंगे।